eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Special Issue 02, September 2023

मानवाधिकार और घरेलू हिंसा

[1]**डॉ० फतेह सिंह**
[1]एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी, नेशनल पी०जी० कॉलेज भोगाँव, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, भारत।

Abstract

हिंसा और मानवाधिकार हनन दुनिया भर में सभी वर्गों में सभी सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिकआदि वर्गों में करोड़ों महिलाओं के जीवन को प्रभावित करती है। यह सामाजिक ,धार्मिक, सांस्कृतिक, बाधाओं को उत्पन्न करता है, जिससे महिलाओं को समाज में पूरी तरह से भाग लेने का अधिकार बाधित होता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा घरेलू दुर्व्यवहार और बलात्कार से लेकर बाल विवाह और महिला खतना तक कई निराशाजनक स्थितियां रूप लेती है। ये सभी सबसे बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन हैं।भारत में महिलाएँ हमारी जनसंख्या का लगभग पचास प्रतिशत हैं। महिलाओं को जन्म से लेकर मृत्यु तक मानवाधिकारों से वंचित रखा जाता है।

देश के कुछ हिस्सों में भ्रूणहत्या बड़े पैमाने पर होती है, जहां लड़की के जन्म का स्वागत नहीं किया जाता है। विदेशों में लगभग इकतालीस प्रतिशत महिलाएँ उत्पादन प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। भारत में स्थिति वांछित नहीं है। यौन शोषण और देह व्यापार ऐसी बुराइयाँ हैं, जो स्वतंत्र संस्थाओं के रूप में महिलाओं के अस्तित्व को खतरे में डालती हैं। मानवाधिकार उल्लंघन और घरेलू हिंसा से मुक्त होने के लिए सरकार द्वारा बहुत सारी कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है तथा कानून बनाए गए हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनमें संशोधन किए जाते हैं जिससे मानवाधिकार हनन और घरेलू हिंसा को रोका जा सके।

बीज शब्द– मानवाधिकार, घरेलू हिंसा, महिला, नैसर्गिक ,विधायिनी, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, अंतर्निहित, मौलिक, स्वतंत्रता, नैतिकता, अधिकार विधेयक, कानूनी प्रावधान आदि।

Introduction

मानवाधिकार शब्द हिंदी का युग्म शब्द है। जो दो शब्दों मानव + अधिकार से मिलकर बना है। मानव अधिकार शब्द को पूर्णता समझने के पूर्व अधिकार शब्द को समझना होगा। मानव अधिकारों को कभी–कभी मौलिक, मूल या नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं क्योंकि यह वह अधिकार है जिन्हें किसी विधायनी या सरकार के किसी कृत्य द्वारा छीना नहीं जा सकता है तथा बहुधा उनका वर्णन या उल्लेख संविधान में किया जाता है। नैसर्गिक अधिकारों के रूप में उन्हें ऐसे अधिकारों के रूप में देखा जाता है जो प्रकृति से ही पुरुषों एवं महिलाओं के हैं। मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो हमारे पास केवल इसलिए हैं क्योंकि हम मनुष्य के रूप में मौजूद हैं – वे किसी भी राज्य द्वारा प्रदान नहीं किए जाते हैं। राष्ट्रीयता, लिंग, राष्ट्रीय या जातीय मूल, रंग, धर्म, भाषा, या किसी अन्य स्थिति की परवाह किए बिना, ये सार्वभौमिक अधिकार हम सभी के लिए अंतर्निहित हैं।इनमें सबसे मौलिक – जीवन का अधिकार – से लेकर वे अधिकार शामिल हैं जो जीवन को जीने लायक बनाते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा, काम, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता के अधिकार।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Special Issue 02, September 2023

मानव अधिकार की परिभाषाः

मानव अधिकार को विभिन्न विद्वानों ने अपने–अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है –

प्रो. लास्की ने कहा था कि "अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ हैं जिनके बिना सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नही कर सकता है। "1.

मानव बुद्धिमान व विवेकपूर्ण प्राणी है और इसी कारण उसे कुछ ऐसे मूल तथा अहरणीय अधिकार प्राप्त रहते है जिसे सामान्यतया मानवाधिकार या मानव अधिकार कहा जाता है। चूँकि ये अधिकार उनके अस्तित्व के कारण उनसे संबंधित रहते है अतः वे उनमें जन्म से ही विहित रहते है। इस प्रकार मानव अधिकार सभी व्यक्तियों के लिये होते है चाहे उनका मूल, वंश, धर्म, लिंग तथा राष्ट्रीयता कुछ भी हो। ये अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है क्योंकि ये उनकी गरिमा एवं स्वतन्त्रता के अनुरूप है। तथा शारीरिक, नैतिक, सामाजिक और भौतिक कल्याण के लिए सहायक होते है। ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये मानव के भौतिक तथा नैतिक विकास के लिए उपयुक्त स्थिति प्रदान करते है। इन अधिकारों के बिना सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्णतः विकास नही कर सकता। मानव जाति के लिए मानव अधिकार का अत्यन्त महत्व होने के कारण मानव अधिकार को कभी–कभी मूल अधिकार, आधारभूत अधिकार, अन्तर्निहित अधिकार, प्राकृतिक अधिकार और जन्म अधिकार भी कहा जाता है। 2

प्रो. होब्स हाऊस के अनुसार मानवाधिकार वह है, जिसमें हम दूसरों से कुछ आशाएँ करते हैं तथा दूसरे भी हमसे कुछ आशाएँ करते हैं। इस आशा के वातावरण में सभी सार्थक अधिकार समाज कल्याण की शर्तें होती हैं। इस प्रकारमानवाधिकार वह है जिसका दावा प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक कार्यों की पूर्ति के लिए करता है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 (1) (घ) के अनुसार 'मानव अधिकारों' से तात्पर्य "प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से सम्बन्धित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निविष्ट और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है।"

अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा से आशय "संयुक्त राष्ट्र की महासभा 16 दिसम्बर, 1966 को अंगीकार की गई सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा अंगीकार की गई ऐसी अन्य प्रसंविदा या अभिसमय, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विर्निदिष्ट करे, से अभिप्रेत है।4 मेरी रॉबिंसन के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मौलिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा एवं उसे प्राप्त करने के व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त अधिकार मानव अधिकार कहलाते हैं।

आर.जे. विसेंट का मत है कि ''मानव अधिकार वे अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के कारण प्राप्त है। इन अधिकारों का आधार मानव स्वभाव में निहित है।''

ए.ए. सईद के अनुसार, ''मानव अधिकारों का सम्बन्ध व्यक्ति की गरिमा से है एवं आत्म–सम्मान का भाव जो व्यक्तिगत पहचान को रेखांकित करता है तथा मानव समाज को आगे बढाता है।''

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Special Issue 02, September 2023

डेविड सेलवाई का विचार है कि ''मानव अधिकार संसार के समस्त व्यक्तियों को प्राप्त है, क्योंकि ये स्वयं में मानवीय है वे पैदा नही किये जा सकते, खरीद या संविदावादी प्रक्रियाओं से मुक्त होते है।''

डी.डी. बसु का मत है कि ''मानव अधिकार वे अधिकार है जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के मानव परिवार का सदस्य होने के कारण राज्य तथा अन्य लोक सेवक के विरूद्ध प्राप्त होने चाहिए।''

हैराल्ड लास्की के अनुसार,"अधिकार मानव जीवन की ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके बगैर सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता हैं।"

बोंसके के शब्दों में,"अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है।"

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम ,1993 की धारा 2(क) मानव अधिकार से प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत है जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं या अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सनिष्ठ हैं और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है।

मानव अधिकारों से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। यह अधिकार भारतीय संविधान के भाग –3 में मूलभूत अधिकारों के नाम से वर्णित किए गए हैं और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है।

ऐसे अधिकार जो अंतरराष्ट्रीय समझौते के फलस्वरुप संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा स्वीकार किए गए और देश के न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, को मानव अधिकार माना जाता है।

अभिरक्षा में यातनापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार ना होने संबंधी अधिकार और महिलाओं के साथ प्रतिष्ठापूर्ण व्यवहार का अधिकार शामिल है।

मानव अधिकार सबको समान रूप से प्राप्त है। इन अधिकारों का हनन जाति ,धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर नहीं किया जा सकता है। ये सभी अधिकार जन्मजात अधिकार है।

अधिकार वे सुविधाएं हैं जो व्यक्ति को जीने के लिए उसके व्यक्तित्व को पल्लवित करने के लिए आवश्यक है। मानव अधिकार का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, इसकी परिधि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक ,आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों का समावेश है, अपनी व्यापक परिधि के कारण मानव अधिकार शब्द का प्रयोग भी अत्यंत व्यापक विचार– विमर्श का विषय बन गया है।

मानव अधिकार के प्रकारः– साधारणतः अधिकारों को दो मुख्य मार्गो में विभाजित किया जाता है – (अ) नैतिक अधिकार, (ब) कानूनी अधिकार। आधुनिक समय में अलग–अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं को भिन्न–भिन्न प्रकार के अधिकार प्राप्त होते है। उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहाँ नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों को विशिष्ट महत्व प्रदान किया जाता है। मानव अधिकारों को निम्नांकित श्रेणियों में विभक्त अथवा वगीकृत किया जाता है – प्राकृतिक अधिकार ,नैतिक अधिकार ,कानूनी अधिकार , नागरिक अधिकार , मौलिक अधिकार , आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Special Issue 02, September 2023

मानव अधिकार के सिद्धांतः– मानव अधिकारों के बारे में और गहरी समझ विकसित करने के लिए यह जरूरी है कि इस विषय पर उपलब्ध राजनीतिक सिद्धांतों का खुलासा किया जाए। इस संदर्भ में कई सिद्धांत है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत ,अधिकारों का कानूनी सिद्धांत, गैर उपयोगितावादी सिद्धांत , विधिक यथार्थवादी , सिद्धांत ,मार्क्सवादी सिद्धांत ।

घरेलू हिंसा : आधुनिक जीवनशैली, स्त्री सशक्तिकरण के प्रोत्साहन, और सामाजिक परिवर्तनों के क्रम में घरेलू हिंसा विषय एक महत्वपूर्ण चर्चा बन गया है। घरेलू हिंसा का अर्थ है जब एक महिला पर उसके मायके या ससुराल के लोग किसी प्रकार की हिंसा करते है। तो वह कानून की नज़र में घरेलू हिंसा होती है। किसी परिवारिक संबंधी के द्वारा दूसरे सदस्य के प्रति शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, या आर्थिक रूप से होने वाली किसी भी तरह की हिंसा। इससे न केवल व्यक्ति को दर्द पहुंचता है, बल्कि समाज के विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भारत में महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए कई कानून बनाये गए। इसके लिए सबसे पहला कानून दहेज निषेध अधिनियम,1961 बनाया गया। जिसके तहत दहेज का लेन–देन अपराध है। साथ ही, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 भी महिलाओं की रक्षा के उद्देशय से बनया गया है। घरेलू हिंसा अधिनियम के सेक्शन 3 में घरेलू हिंसा के प्रकार और इससे सम्बंधित लोगों की परिभाषा बताई गयी है।

घरेलू हिंसा की परिभाषा बहुत विस्तृत है और इसमें विभिन्न प्रकार की हिंसा शामिल होती है। यह न केवल शारीरिक रूप से होती है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी घातक होती है। इसमें समाजिक, आर्थिक, और मानसिक कारण भी शामिल हो सकते हैं। यह भारतीय समाज में एक गंभीर समस्या है और इसे रोकने के लिए सकारात्मक कदम उठाने जरूरी है।

घरेलू हिंसा की परिभाषा (Definition of Domestic Violence):. कोई भी महिला यदि परिवार के पुरुष द्वारा की गयी मारपीट या अन्य प्रताडना से तृष्ट है तो वह घरेलू हिंसा कहलायगी। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम २००५ उसमें घरेलू हिंसा के विरुद्ध संरक्षण और सहायता के अधिकार प्रदान करता है।"।

राज्य महिला आयोग– "घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम की धारा, 2005" घरेलू हिंसा को पारिभाषित किया गया है –"प्रतिवादी का कोई बर्ताव, भूल या किसी और को काम करने के लिए नियुक्त करना, घरेलू हिंसा में माना जाएगा। क्षति पहुँचाना या जख्मी करना या पीड़ित व्यक्ति को स्वास्थ्य, जीवन, अंगों या हित को मानसिक या शारीरिक तौर से खतरे में डालना या ऐसा करने की नीयत रखना और इसमें शारीरिक, यौनिक, मौखिक और भावनात्मक और आर्थिक शोषण शामिल है; या दहेज़ या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की अवैध मांग को पूरा करने के लिए महिला या उसके रिश्तेदारों को मजबूर करने के लिए यातना देना, नुक्सान पहुँचाना या जोखिम में डालना ; या पीड़ित या उसके निकट सम्बन्धियों पर उपरोक्त वाक्यांश (क) या (ख) में सम्मिलित किसी आचरण के द्वारा दी गयी धमकी का प्रभाव होना; या पीड़ित को शारीरिक या मानसिक तौर पर घायल करना या नुक्सान पहुँचाना"

घरेलू हिंसा अधिनियम के अनुसार, घरेलू हिंसा का अर्थ है घरेलू रिश्ते में किसी महिला को नुकसान पहुंचाना या घायल करना। इसके दायरे में शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Special Issue 02, September 2023

शामिल है। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दुर्व्यवहार में न केवल वास्तविक दुर्व्यवहार बल्कि दुर्व्यवहार की धमकी भी शामिल है। महिला या उसके रिश्तेदारों को गैरकानूनी दहेज की मांग के परिणामस्वरूप होने वाला कोई भी उत्पीड़न भी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत परिभाषा के अंतर्गत आता है। घरेलू हिंसा अधिनियम मुख्य रूप से पत्नियों या महिला लिव–इन पार्टनर को पति या उसके रिश्तेदारों सहित पुरुष लिव–इन पार्टनर के हाथों घरेलू हिंसा से बचाता है। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 2(ए) (1)"पीड़ित व्यक्ति" को किसी भी महिला के रूप में परिभाषित किया गया है जो अपराधी के साथ घरेलू संबंध में है या रही है और जो घरेलू हिंसा के किसी भी कार्य के अधीन होने का आरोप लगाती है। घरेलू हिंसा अधिनियम न केवल उन महिलाओं को कवर करता है जो दुर्व्यवहार करने वाले के साथ रिश्ते में हैं या रही हैं, बल्कि यह उन महिलाओं को भी कवर करता है जो एक साझा घर में एक साथ रहती हैं और सजातीयता, विवाह या विवाह की प्रकृति के रिश्ते के माध्यम से संबंधित हैं। या माता, बहन या विधवाओं सहित गोद लेना।

प्रकार –

शारीरिक हिंसा – शारीरिक हिंसा घरेलू हिंसा का एक प्रमुख प्रकार है जिसमें शारीरिक रूप से किसी को चोट पहुंचाई जाती है। यह दायरे–दार कुछ नहीं रहता और बार–बार घरेलू संबंधियों के बीच झगड़े और तनाव के कारण होता है।

भावनात्मक छिड़छाड–. भावनात्मक छिड़छाड़ में व्यक्ति को आत्महिंसा की भावना को उत्पन्न करने के लिए नुकसान पहुंचाया जाता है। इसमें अपमान, निंदा, निष्ठुरता, और निराशा जैसे भाव होते हैं जो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।

मानसिक यातना – मानसिक यातना में व्यक्ति को भयानक और चिंता–प्रद भावनाएँ जीना पड़ता है। यह घरेलू हिंसा का एक विकट प्रकार है जिसमें व्यक्ति को बार–बार नीचा दिखाया जाता है और उसके आत्मविश्वास को कमजोर किया जाता है।

आर्थिक शोषण – आर्थिक शोषण में व्यक्ति के आर्थिक संसाधनों का दुरुपयोग किया जाता है। इसमें व्यक्ति को धन की संख्या रखकर उसे विशेष चीजों से वंचित किया जाता है जो उसके लिए जरूरी होते हैं।

घरेलू हिंसा के कारण– घरेलू हिंसा के कारण विभिन्न हो सकते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख कारणों पर चर्चा की जाएगी।

सामाजिक परंपरा– भारतीय समाज में ऐसी कई परंपराएँ हैं जिनमें पुरुषों को महिलाओं पर अधिकार होता है। यह परंपराएँ घरेलू हिंसा को बढ़ावा देने में सहायक साबित हो सकती हैं।

सामाजिक–आर्थिक समस्याएँ– आर्थिक समस्याएँ और विपदाएँ घरेलू हिंसा के लिए एक मुख्य कारण हो सकती हैं। गरीबी, बेरोज़गारी, और असंतोष संबंधित मुद्दे हो सकते हैं।

मानसिक समस्याएँ– यदि किसी व्यक्ति को मानसिक समस्याएँ हों, तो वह घरेलू हिंसा का शिकार होने का खतरा बढ़ जाता है। मानसिक रूप से अस्थिरता और उत्तेजना से भरे होने के कारण व्यक्ति अपने संबंधित सदस्यों पर अत्याचारित हो सकता है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Special Issue 02, September 2023

परिणाम– घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप व्यक्ति, परिवार, और समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके कुछ प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं:

पीढ़ी के भविष्य पर प्रभाव– घरेलू हिंसा का सामना करने वाले बच्चे भविष्य में भी समस्याएँ झेल सकते हैं। उन्हें संबंधों में भरोसा कम होता है और वे आत्महत्या और विकृत समाजिक बर्ताव के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं।

समाज के विकास पर असर – घरेलू हिंसा समाज के विकास को रोकती है और समाज में सामंजस्य और एकता को तोड़ती है। यह भारतीय समाज को उन्नति की राह में आगे बढ़ने से रोकता है।

घरेलू हिंसा के कारण :–

दहेज की मांग करना।

स्त्री को आत्मनिर्भर बनने से रोकना।

पुरुषवादी मानसिकता जो जिसे महिलाएं हीन समझती हैं।

हिंसा को विवादों को निपटाने के तरीके के रूप में देखना।

महिलाओं की निरक्षरता, जिसके कारण उन्हें कानून की जानकारी नहीं है।

हिंसा के खिलाफ प्रतिक्रिया की निष्क्रियता भी घरेलू हिंसा को बढ़ावा देती है।

गरीबी के कारण आवश्यकता पूरी न होने पर परिवार में झगड़े होने लगते हैं।

महिला उत्पीड़न का एक प्रमुख कारण पुरुषों पर महिलाओं की आर्थिक निर्भरता है।

निम्न सामाजिक स्थिति के कारण महिलाओं को भी घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है।

गलत लत जैसे– शराब पीने, नशा करने के कारण लोग घर में बेवजह मारपीट भी करते हैं।

भारत की स्वतंत्रता के बाद से महिलाओं की आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में निरंतर प्रगति हुई है।

महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा का मुख्य कारण मूर्खतापूर्ण मानसिकता है कि महिलाएँ पुरुषों की तुलना में शारीरिक और भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं।

विवाहेत्तर संबंधों में लिप्त होना, ससुराल वालों की देखभाल न करना, कुछ मामलों में महिलाओं में बाँझपन भी परिवार के सदस्यों द्वारा उन पर हमले का कारण बनता है।

पुरुषों के प्रति घरेलू हिंसा के कारणों में पत्नियों के निर्देशों का पालन न करना, 'पुरुषों की अपर्याप्त कमाई, विवाहेत्तर संबंध, घरेलू गतिविधियों में पत्नी की मदद नहीं करना है बच्चों की उचित देखभाल न करना, पति–पत्नी के परिवार को गाली देना, पुरुषों का बाँझपन आदि कारण हैं।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Special Issue 02, September 2023

समाधान के उपाय–

• शोधकर्त्ताओं के अनुसार, यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि घरेलू हिंसा के सभी पीड़ित आक्रामक नहीं होते हैं। हम उन्हें एक बेहतर वातावरण उपलब्ध करा कर घरेलू हिंसा के मानसिक विकार से बाहर निकल सकते हैं।

• सरकार ने महिलाओं और बच्चों को घरेलू हिंसा से संरक्षण देने के लिये घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 को संसद से पारित कराया है। इस कानून में निहित सभी प्रावधानों का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिये यह समझना ज़रूरी है कि पीड़ित कौन है। यदि आप एक महिला हैं और रिश्तेदारों में कोई व्यक्ति आपके प्रति दुर्व्यवहार करता है तो आप इस अधिनियम के तहत पीड़ित हैं।

• मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017 द्वारा भारत मानसिक स्वास्थ्य के प्रति गंभीर हो गया है, लेकिन इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है। नीति निर्माताओं को घरेलू हिंसा से उबरने वाले परिवारों को पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिये तंत्र विकसित करने की ज़रूरत है।

• सरकार ने वन–स्टॉप सेंटर जैसी योजनाएँ प्रारंभ की हैं, जिनका उद्देश्य हिंसा की शिकार महिलाओं की सहायता के लिये चिकित्सीय कानूनी और मनोवैज्ञानिक सेवाओं की एकीकृत रेंज तक उनकी पहुँच को सुगम व सुनिश्चित करता है।

संविधान द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार एवं घरेलू हिंसा निवारण कुछ कानूनी प्रावधान–

स्वतंत्रता के पूर्व भी महिलाओं के प्रति समाज के दमनकारी दृष्टिकोण प्रभावी रहा है। स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान निर्माताओं ने महिलाओं के प्रति समाज के दमनकारी दृष्टिकोण की समाप्ति के लिए प्रयास किए। भारत के संविधान का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि वहां लिंग के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं किया गया। भारत के नागरिकों को एक सामान्य भाव बोध में केवल नागरिक माना गया है। वहां स्त्री और पुरुष कोई भेद नहीं है। भारत का विधान स्त्री और पुरुष शब्द के संबंध में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं करता है।

सामान्य रूप से केवल नागरिक शब्द इस्तेमाल किया गया। भारत के संविधान के कुछ मूल अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। मानव अधिकारों पर आधारित संविधान के होते हुए भी भारत राज्य क्षेत्र के भीतर महिलाओं के विरुद्ध समाज का दृष्टिकोण कोई बहुत हद तक नहीं बदला था। कार्यस्थल से लेकर घरों तक महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और बुरा आचरण निरंतर जारी था और जारी है।भारतीय संविधान की प्रस्तावना मूलभूत अधिकार मूलभूत दायित्व तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समानता एवं महिलाओं को सम्मान प्रदान करने की अवधारणा को अंगीकार किया। भारतीय संविधान में महिलाओं के साथ लैंगिक विभेद न करने की बात करते हुए उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाना सुनिश्चित किया है। महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक विभेद न करने की बात भी की है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Special Issue 02, September 2023

संविधान द्वारा राज्य को निर्देशित करते हुए कहा गया है कि राज्य महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक हितकारी कदम उठाएं। राज्य विकास नीतियां योजनाएं क्षेत्र में महिलाओं की प्रगति सुनिश्चित करें परिपूर्ण होना चाहिए। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 महिलाओं के संरक्षण से संबंधित अनेक विधियां अस्तित्व में आई है परंतु इन सब विधियों में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 सर्वोच्च स्थान रखता है क्योंकि इस अधिनियम में महिलाओं से संबंधित उन सभी समस्याओं का समावेश कर दिया गया था जिनके समय–समय पर लाक्षणिक इलाज किए जा रहे थे तथा एक ही कानून के माध्यम से महिलाओं के अनेकों अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। इसलिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की महत्वपूर्णता को नकारा नहीं जा सकता है।

घरेलू हिंसा द्वारा महिलाओं को प्रताड़ित करने वाले कार्यों को मूलभूत अधिकारों तथा महिलाओं के मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाला माना गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के प्रावधान के प्रतिकूल होने के साथ ही ऐसे कामों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी महिलाओं के मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखा गया। भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 51 द्वारा अपेक्षित है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किए गए समझौतों को लागू करने का प्रयास पक्षकार राष्ट्र को करना चाहिए।

इसी प्रकार संविधान के भाग– 4 अनुच्छेद 51(ए) (य) (क) में वर्णन है कि महिलाओं के प्रति अपमानकारक नीतियों का त्याग करना चाहिए। महिलाओं के साथ घरेलू सीमा में होने वाले हिंसा पूर्ण कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण लगाने हेतु सर्वप्रथम घरेलू हिंसा 2002 में लाया गया। अंतरराष्ट्रीय संघ द्वारा भारतीय संविधान में अंतर प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया गया। बार–बार होने वाली कोई घरेलू हिंसा, वैवाहिक घर में समान अधिकार के साथ निवास करने का अधिकार भी महिलाओं के पक्ष में सुरक्षित नहीं था।

महिला घरेलू हिंसा की शिकायत करती है तो उसे निवास के अधिकार से वंचित होने की संभावना बनी रहती है अर्थात शिकायत करें तो उसे घर से निकाल दिया जाता है। परामर्श लेने की बाध्यता थी। केवल पंजीकृत महिला संगठनों को ही अधिकार था की महिलाओं की सहायता कर सकें। इस देश में त्रिस्तरीय सुरक्षा अधिकारी न्यायालय तथा शिकायतकर्ता की उपस्थिति को प्रभावी मानते हुए इसमें अनेक संशोधन करने के उपरांत नवीन प्रमुख 2005 का अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम का व्यापक अर्थ है तथा घरेलू सीमा में महिलाओं के प्रति हिंसा के निषेध हेतु इसे अधिनियमित किया गया ताकि विवाहित या अविवाहित को समान रूप से हिंसा से संरक्षण प्रदान किया जा सके।

निष्कर्षः – मानवाधिकार संरक्षण और घरेलू हिंसा के संदर्भ में बनाए गए अधिनियम और कानून, कुल मिलाकर एक मूल्यवान विधान है। अंतिम विश्लेषण पर, इसकी कमियाँ इस अधिनियम से महिलाओं को होने वाले अत्यधिक लाभ को नज़रअंदाज नहीं करतीं। अधिनियम के बारे में एक अच्छी बात यह है कि यह पार्टियों के धर्म की परवाह किए बिना घरेलू हिंसा से निपटता है, क्योंकि कई बार व्यक्तिगत कानूनों द्वारा प्रदत्त सुरक्षा का उपयोग करके गलतियाँ की जाती हैं। इस प्रकार

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Special Issue 02, September 2023

महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के मामले में इसका दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष है।लिंग भेद और कामुकता के अर्थ और समाज के सभी स्तरों पर महिलाओं और पुरुषों के बीच शक्ति संतुलन की समीक्षा की जानी चाहिए। महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए समाज में लिंग भूमिकाओं और शक्ति संबंधों को स्पष्ट करने के तरीके को चुनौती देने की आवश्यकता है।

कई देशों में महिलाओं को निम्न दर्जा प्राप्त है। उन्हें हीन समझा जाता है और यह दृढ़ विश्वास है कि पुरुष उनसे श्रेष्ठ हैं और यहाँ तक कि वे उनके मालिक भी हैं। महिलाओं के प्रति लोगों का रवैया और मानसिकता बदलने में काफी समय लगेगा – कम से कम एक पीढ़ी, जैसा कि कई लोग मानते हैं, और शायद इससे भी अधिक समय लगेगा। फिर भी, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाना, और समाज के विकास और शांति की प्राप्ति में महिलाओं को जीवन में मूल्यवान भागीदार के रूप में देखने के लिए लड़कों और पुरुषों को शिक्षित करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि महिलाओं की रक्षा के लिए कानूनी कदम उठाना।

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1–प्रो. आर. पी. जोशी, मानव अधिकार एवं कर्तव्य, अभिनव प्रकाशन, अजमेर, प्रथम संस्करणः 2006 पृ. सं. 2.

2–डॉ. एच. ओ. अग्रवाल, अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवं मानव अधिकार, सेअधिनियमन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, तेरहवाँ संस्करणः 2013, पृ. सं. 668

3–डॉ. गोकुलेश शर्मा, स्यूमन राइट्स एण्ड सोशियल जस्टिस, 1997, पृ. 1

4–मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 के सं. 43 द्वारा प्रतिस्थापित (मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कीर धारा 2 (1) (च))

5–घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम 2005

6–घरेलू हिंसाः महिलाओं के मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा, http%@@www-thefreelibrary-com@

7–कुमारस्वामी, राधिका (2005), 'मानव सुरक्षा और लैंगिक हिंसा', इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 29 अक्टूबर, पृष्ठ 4729–4736।

8–धुपकरिया, लता (2005), 'महिला मानवाधिकार एवं घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 एक इन्द्रियानुभविक अध्ययन"

9– श्रीवास्तव, सुधारानी (2009). "महिला उत्पीड़न और वैधानिक उपचार प्रकाशक अर्जुन पब्लिशिंग हाउस अंसारी रोड दरियागंज, नई दिल्ली।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Special Issue 02, September 2023

10–सक्सेना, अल्का एवं गुप्ता, चन्द्र सुभाष (2011), पारिवारिक प्रताड़ना एवं महिलाएं, प्रकाशक राधा पब्लिकेन्स 4231–1 असारी रोड दरियागंज, नई दिल्ली।

11–रिजवी, आबिद आबिद (2012), 'महिला अधिकार कानून तुलसी साहित्य पब्लिकेन्स गांधी मार्ग निकट ओडियन सिनेमा, मेरठ (उत्तर प्रदेश)।